

क्र. 48/18

शंकरलाल बनाम सायरदेवी का

21/8/18

पुनर्वादी के पक्ष में
17/12/18

24/1/18

15



शंकरलाल

15/1/18

24/1/18

बादी। जहाँ शंकरलाल पुत्र विजयलाल के द्वारा मूलवाद संख्या-55/2018 अर्थात् शंकरलाल बनाम सायरदेवी में विद्वा का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली द्वारा पेश हुई प्रार्थना अर्थात् उपरिपत्र। मूलवाद को विद्वा कर रकारिज किया गया है कि इस प्रार्थना पत्र अन्वयेत द्वारा 212 R.T. Act का कोई अधिचय नहीं है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र द्वारा 212 R.T. Act को रकारिज किया जाता है पत्रावली फॉर्मल धुआर के माध्यम से काग हो। वाद अति कारिजल अस्त है।

उपलब्ध अधिकारी
जमशेरपुर